पत्रांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–05/2021 (खंड)/36(अनु०)/पं०रा०

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक:

नजर हुसैन,
अपर सचिव

सेवा में,

प्रधान सचिव,
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग,
बिहार, पटना।

पटना दिनांक: 18/7/2025

विषय: **वित्तीय वर्ष 2025–26 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 31(स्वी०) दिनांक 18.07.2025 के आलोक में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के सतत् संचालन एवं रख–रखाव हेतु कुल ₹224.3962268 करोड़ (दो अरब चौबीस करोड़ उनचालीस लाख बासठ हजार दो सौ अड़सठ रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2025–26 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 31(स्वी०) दिनांक 18.07.2025 द्वारा षष्ठम् राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत ग्राम पंचायतों को अनुरक्षण निधि मद की देय अनुदान राशि में से मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के सतत् संचालन एवं रख–रखाव हेतु कुल ₹224.3962268 करोड़ (दो अरब चौबीस करोड़ उनचालीस लाख बासठ हजार दो सौ अड़सठ रूपये) मात्र की राशि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (PHED), बिहार, पटना को उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त विभागीय स्वीकृत्यादेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025–26 में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के सतत् संचालन एवं रख–रखाव हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (PHED), बिहार, पटना को कुल ₹224.3962268 करोड़ (दो अरब चौबीस करोड़ उनचालीस लाख बासठ हजार दो सौ अड़सठ रूपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

3. इस आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2025–26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–198–ग्राम पंचायतों को सहायता उपशीर्ष–0009–राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायतों को अंशदान" के विषय शीर्ष "0009.31.05–सहायक अनुदान–परिसम्पत्तियों के निर्माण" से किया जायेगा। इसकी मांग संख्या–16 एवं विपत्र कोड 16–2515001980009 है।

4. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना होंगे, जो राशि की निकासी (BTC-42 Form, Grant in Add Bill) संबंधित कोषागार से CFMS के माध्यम से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों एवं स्वीकृत्यादेश संख्या 31(स्वी०) दिनांक 18.07.2025 में निहित अनुदेशों के आलोक में करेंगे।

5. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (PHED), बिहार, पटना द्वारा इस आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र (BTC-42A में)/वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन नियमानुसार 18 माह के अंदर पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

6. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998 एवं पत्रांक 227 दिनांक 28.03.2025 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

7. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

8. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

9. इस आवंटित राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

10. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

11. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अपर सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

12. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय सचिव, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–05/2021 (खंड) के पृष्ठ संख्या ....52/टि० पर दिनांक 18/07/2025 को प्राप्त है।

13. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन,

(नजर हुसैन)

अपर सचिव

ज्ञापांक : 5प/स्था० एवं प्रति० व्यय–01–05/2021 (खंड)/36(आ०)/पं०रा० पटना, दिनांक 18/7/25

प्रतिलिपिः महालेखाकार (लेखा एवं हक०), वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–03 एवं 05/उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/7/25

(नजर हुसैन)
अपर सचिव

ज्ञापांक : 5प/स्था० एवं प्रति० व्यय–01–05/2021 (खंड)/36(आ०)/पं०रा० पटना, दिनांक 18/7/25

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

18/7/25

(नजर हुसैन)
अपर सचिव

D:\MS EXCEL\MS Excel\Allotment\Allotment 2025-26\Estb & Commt Exp\6th SFC 2025-26\Letter.docx 141